अंतिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर, अजमेर

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या– 38/2021

जीसीएमएस– 2021/115

दायर दिनांक– 27.09.2022

निर्णय दिनांक– 20.05.2022

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. श्री पूनाराम पुत्र श्री रामसुख रेगर निवासी किशनपुरा गोवलिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. श्री घीसूलाल पुत्र श्री नाथूलाल मृतक जरिये 1/1. श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री घीसूलाल 1/2. श्री धर्मेन्द्र नागौरा पुत्र स्व. श्री घीसूलाल 2. श्री शंकरलाल पुत्र श्री ताराचंद जाति मेघवाल निवासी कासंदी जिला सिरोही 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर जिला अजमेर 4. भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा पुष्कर, जिला अजमेर जरिये शाखा प्रबंधक। 5. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा पुष्कर, जिला अजमेर जरिये शाखा प्रबंधक

वाद–पत्र अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति– 1.श्री [illegible] वादी अभि0।

2.पैरोकार [illegible] जरिये तहसीलदार

3.श्रीमती [illegible] तंवर, प्रतिवादी सं. 1/1, 1/2, 2 अधिवक्ता

4.श्री अरूण वैष्णव, प्रति. सं. 7

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:13:33 IST
Reason: SelfAttested

20.5.22

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 लगायत 2 के संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम किशनपुरा, तहसील पुष्कर जिला अजमेर में अवस्थित है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

खाता सं0	खसरा नं0	रकबा (है0)	किस्म
74	120	0.22	बारानी 3
	123	0.34	बारानी 2
	124	0.23	बारानी 2
	125	1.01	बारानी 2
	126	0.93	बारानी 2
	127	0.07	बारानी 2
	128	0.10	बारानी 2
	129	0.01	गै0मु0चाह
	130	0.71	बारानी 2
	131	1.00	बारानी 2
	131/2005	0.01	गै0मु0चाह
कुल किता	11	4.63	

उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात के खाता सं. 74 में वादी व प्रतिवादी सं. 01 लगायत 2 संयुक्त खातेदार है तथा प्रत्येक खातेदार अपने अपने हिस्से की आराजी पर बाहैसियत खातेदार काबिज है तथा उक्त सभी वादी व प्रतिवादी सं. 01 लगायत 02 का अपने हिस्से की आराजी पर कब्जा व दखल चला आ रहा है तथा वादग्रस्त आराजीयात का आज दिनांक तक मौके पर विधिवत् बंटवारा नहीं हुआ है, जिनके मध्य राजस्व रिकॉर्ड में बंटवारा किया जाना उचित है जिसके लिए वाद वास्ते बंटवाडा आज्ञाप्ति व स्थाई निषेधाज्ञा आज्ञप्ति बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी सं. 01 लगायत 02 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिसकी तामीली ने प्रतिवादी सं0 8 की ओर से वकील श्री अरूण वैष्णव द्वारा वकालतनामा व जवाब–दावा पेश किया गया, जिसे शामिल मिसल किया गया। दिनांक 09.02.2022 को प्रतिवादी सं0 02 की ओर से जवाब–दावा पेश किया गया व प्रतिवादी सं0 1/1 व 1/2 की ओर से अंजू तंवर द्वारा वकालतनामा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:13:33 IST
Reason: SelfAttested

20.5.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

जवाब–दावा दिनांक 16.02.2022 को पेश किया, जिसे शामिल मिसल किया गया। दिनांक 16.02.2022 को वादी अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया, जिसे दिनांक 06.04.2022 को न्यायोचित्त होने के कारण स्वीकार किया जाकर मूल वाद–पत्र के प्रतिवादी सं0 3 लगायत 5 का नाम वाद–पत्र से विलोपित किया गया। दिनांक 06.04.2022 को प्रतिवादी सं0 7 को दिनांक 15.12.2021 से लगातार जवाब–दावा प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, परंतु न्यायालय के समक्ष आदिनांक तक जवाब–दावा पेश नहीं करने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दिनांक 09.02.2022 को प्रतिवादी सं0 2 द्वारा जवाब वाद–पत्र के माध्यम से वादी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार बंटवाडे व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु अपनी सहमति प्रदान कर डिक्री पारित करने का निवेदन किया। दिनांक 16.02.2022 को प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 द्वारा वादी के विभाजन प्रस्ताव अनुसार बंटवाडे व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु अपनी सहमति प्रदान की। चूंकि वाद–पत्र के मूल प्रतिवादीगण द्वारा बंटवाड़े व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु अपनी सहमति प्रदान कर दिये जाने के कारण तनकीयात कायम न कर सीधे ही वादी के अनुतोष पर विचारण किया गया।

हमनें उभयपक्षकारान अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ऐसी स्थिति में पक्षकारान अपने–अपने हक–हिस्से का विभाजन अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अध्यधीन कराये जाने के अधिकारी है ऐसी स्थिति में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य अपनी सहखातेदारी से मौजा किशनपुरा पटवार हल्का किशनपुरा की आराजीयात खाता संख्या 74 के खसरा नंबरान 120, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 131/2005 जो कि उभयपक्षकारान के सह खातेदारी से दर्ज रिकार्ड है का विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के इकरारनामा/सहमति–पत्र के अनुसार वादीगण का वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा व विभाजन/बंटवाडा (संलग्न सहमति, नक्शा ट्रेस, विभाजन प्रस्ताव अनुसार) को स्वीकार किया जाता है। राजस्व जमाबंदी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन बदस्तूर रखा जावें। संलग्न नक्शा ट्रेस, निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। राजस्व अभिलेख में अंकन करने के आदेश तहसीलदार पुष्कर को प्रदान किये जाते है। अंतिम डिक्री इसी कदर जारी हो।

निर्णय दिनांक 20.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाकर खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 10:13:33 IST
Reason: SelfAttested

20.5.22

सुखाराम पिण्डेल
(आर0ए0एस) अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

अंतिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर, अजमेर

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या– 38 / 2021

जीसीएमएस– 2021 / 115

दायर दिनांक– 27.09.2022

निर्णय दिनांक– 20.05.2022

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. श्री पूनाराम पुत्र श्री रामसुख रेगर निवासी किशनपुरा गोवलिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. श्री घीसूलाल पुत्र श्री नाथूलाल मृतक जरिये 1/1. श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री घीसूलाल 1/2. श्री धर्मेन्द्र नागौरा पुत्र स्व. श्री घीसूलाल 2. श्री शंकरलाल पुत्र श्री ताराचंद जाति मेघवाल निवासी कासंदी जिला सिरोही 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर जिला अजमेर 4. भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा पुष्कर, जिला अजमेर जरिये शाखा प्रबंधक। 5. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा पुष्कर, जिला अजमेर जरिये शाखा प्रबंधक

वाद–पत्र अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति– 1.श्री [illegible], वादी अभि0।

2.पैरोकार [illegible] जरिये तहसीलदार

3.श्रीमती अंजु [illegible] प्रतिवादी सं.1/1, 1/2, 2 अधिवक्ता

4.श्री अरूण वैष्णव, प्रति. सं. 7

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:13:33 IST
Reason: SelfAttested

20.5.22

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

—:: अंतिम डिक्री ::—

उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को अंतिम रूप स्वीकार किया जाता है कि मौजा किशनपुरा पटवार हल्का किशनपुरा की आराजीयात खाता संख्या 74 के खसरा नंबरान 120, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 131/2005 जो कि उभयपक्षकारान के सह खातेदारी से दर्ज रिकार्ड है का मौके एवं कब्जे तथा राजस्व रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए वादी एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मंडल) नियम, 1955 के विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवाडा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी के खाते पृथक—पृथक किये जाकर लगान फाटनी अलग—अलग की जावें। रहन बदस्तूर रखा जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करें ना ही करावें। संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। राजस्व अभिलेख में अंकन करने के आदेश तहसीलदार पुष्कर को प्रदान किये जाते है। अंतिम डिक्री इसी कदर जारी हो।

निर्णय दिनांक 20.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया।

20.5.22

सुखाराम पिण्डेल
(आर0ए0एस)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:13:33 IST
Reason: SelfAttested